प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत, सर्विलांस, स्वाट   दिनाँक 15.09.2026

थाना बडौत पुलिस, सर्विलांस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा फ्लिपकार्ट शिपमेन्ट में धोखाधडी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल लगभग 40 लाख रुपये कीमत के 42 मोबाइल फोन बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 13.09.2026 को थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादी श्री रामभवन सिंह पुत्र स्वर्गीय हरबक्स सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि, इस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण आशीष चौधरी, अभिषेक, विवेक, हिमांशु पुत्र सोमपाल सिंह निवासी आजाद नगर, बड़ौत, अनिल पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बड़ौदा, मुजफ्फरनगर तथा अन्य अज्ञात साथियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर बड़ौत, बागपत एवं खेकड़ा हब से संबंधित शिपमेंटों में पिछले लगभग 01 से 1.5 वर्ष की अवधि में चोरी, हेराफेरी, विश्वासघात एवं धोखाधड़ी की गई। अभियुक्तगणों के द्वारा बताया गया कि हम लोग फ्लिप्कार्ट तथा अन्य प्लेटफोर्म पर अपने डिलीवरी हब के अंदर पड़ने वाले क्षेत्र के पते पर ऑर्डर करते थे| जब सामान शिपमेंट के माध्यम से अभियुक्तों के हब पर पंहुच जाता था, उस समय ये लोग ऑर्डर किये गए उस शिपमेंट / पार्सल को कैमरों से बचाकर गायब कर देते थे तथा गायब किये गए उस पार्सल को अभियुक्तगण अपनी सूचि में भी प्राप्त हुआ दर्ज नही करते थे| उन पार्सल के ऑर्डर के सम्बन्ध में ई-मेल के माध्यम से स्वयं के द्वारा गायब किये गए पार्सल को शोर्ट ऑर्डर (अप्राप्त ऑर्डर) दर्शाया जाता था | इस सामान को अभियुक्तगण अपनी जान पहचान के लोगो को ऑनलाइन प्लेटफोर्म द्वारा मंगाए ऑर्डर बताकर बेच देते थे | जिससे कंपनी को लगभग ₹77,06,583/- की आर्थिक क्षति हुई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस, सर्विलांस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाना साइबर क्राईम के मु0अ0सं0 50/2026 धारा 303(2), 316(2), 318(4), 3(5) बीएनएस एवं धारा 66D आईटी एक्ट से सम्बन्धित फ्लिपकार्ट तथा अन्य ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफोर्म के शिपमेंट / पार्सल में धोखाधडी करके कीमती सामान को बेचने वाले गिरोह के 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से शिपमेंट से निकाले हुए अलग-अलग कम्पनी के कुल 42 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 40 लाख रुपये) बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1-हिमांशु पुत्र सोमपाल निवासी आजाद नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-अभिषेक पुत्र जोगिन्द्र निवासी हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली ।

3- अनिल पुत्र इन्द्रपाल निवासी नया गांव थाना कोवताली बागपत जनपद बागपत ।

घटना कारित करने का तरीका:

प्रारम्भिक जांच से प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण आशीष चौधरी, अभिषेक, विवेक, हिमांशु पुत्र सोमपाल सिंह निवासी आजाद नगर, बड़ौत तथा अनिल पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बड़ौदा, मुजफ्फरनगर द्वारा आपसी मिलीभगत से शिपमेंट की हेराफेरी की जाती थी। अभियुक्त आशीष चौधरी के हब इंचार्ज के पद पर कार्यरत होने के कारण उसे हब पर आने-जाने वाले शिपमेंट एवं उनकी परिचालन प्रक्रिया की जानकारी रहती थी। इसी का लाभ उठाकर अभियुक्तगण द्वारा डिलीवरी वाहनों में लदे शिपमेंट के हब पर पहुंचने से पूर्व/अनलोडिंग के दौरान उनकी निगरानी एवं आवागमन का लाभ लेते हुए चयनित शिपमेंटों को कैमरों से बचाते हुए गायब कर दिया जाता था। उक्त अभियुक्तगण निकाले गये कीमती सामान को देहरादून, हरिद्वार, रूडकी आदि शहरों में बेच देते थे। सीसीटीवी फुटेज में शिपमेंट कंटेनर/बैग आदि के माध्यम से कैमरे का दृश्य बाधित किया जाता था | प्रकरण में अभियुक्तगण की वास्तविक भूमिका एवं आपसी मिलीभगत के संबंध में सीसीटीवी फुटेज, शिपमेंट/वाहन रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण-

- **Apple I Phone mobile- 08**
- **Samsung mobile- 08**
- **Google pixel mobile- 05**
- **Motorola mobile- 07**

- One plus mobile-02
- Realme mobile- 04
- Oppo mobile- 01
- AI mobile- 03
- IQOO mobile- 01
- Vivo mobile- 03

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

सर्विलांस सैल टीम-

1-नि0ना0पु0 कुलदीप सिंह सिरोही।
2-है0का0 390 गवेन्द्र सिंह।
3-है0का0 120 प्रदीप कुमार।
4-है0का0 153 वीरेन्द्र कसाना।
5-है0का0 555 जानसन।
6-है0का0 468 कुलदीप सिंह।
7-का0 631 रक्षित कुमार।
8-का0 08 अनुज कुमार।

स्वाट टीम बागपत-

1-उ०नि० रंजीत सिंह प्रभारी स्वाट टीम
2-मु0 आ0 370 इरशाद अहमद
3-मु0 आ0 49 प्रमोद कुमार
4-मु0 आ0 469 नरेन्द्र नागर
5-मु0 आ0 680 अमरजीत
6-आ0 375 मोनू शर्मा
7-आ0 402विशाल पूनिया
8-आ0720 प्रीतम सिंह

थाना बडौत पुलिस टीम-

1-उ0 नि0 सिद्धार्थ सक्सेना
2-है0का0 422 राजन
3-का 406 रविन्द्र भाटी
4-का 399 राहुल चौहान
5-का0 666 रघुवीर सिंह
6-का0 301 मुलायम सिंह यादव

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 15.09.2026**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0-567/25 (धारा 2(b)(xv)/3 गैंगस्टर एक्ट व थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0- 443/23 धारा 307/120बी भादवि, 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस .315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

जनपद बागपत में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा 03 वर्षों से लगातार फरार चल रहे ₹25,000/- के इनामी एवं मा0 न्यायालय द्वारा मफरूर घोषित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी व मुठभेड़ का विवरण:

थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त राजा अली अपने एक साथी के साथ हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से हिसावदा से बिलोचपुरा नहर पटरी पर रजवाहे के किनारे बने ट्यूबवेल के पास मौजूद है तथा अपने अन्य साथियों का इंतजार कर रहा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की, खुद को घिरता देख अभियुक्त व उसके साथी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। अभियुक्त द्वारा चलाई गई गोली उपनिरीक्षक स्नेह प्रकाश की बुलेटप्रूफ

जैकेट में जा लगी, जिसमें वे बाल-बाल बचे। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त राजा अली के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु सीएचसी पिलाना भिजवाया गया।

अभियुक्त राजा अली अत्यंत शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0- 443/23 धारा 307/120बी भादवि, 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में पिछले 03 वर्षों से लगातार अपनी पहचान व ठिकाने (दिल्ली, अमरोहा व सम्भल आदि) बदलकर मा0 न्यायालय व पुलिस को चकमा दे रहा था। मा0 न्यायालय द्वारा इसे मफरूर घोषित किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, थाना सिंघावली अहीर द्वारा विवेचित मु0अ0सं0- 567/25 -धारा 2(b)(xv)/3 गैंगस्टर एक्ट में भी यह पिछले 01 वर्ष से लगातार फरार चल रहा था।

इसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा ₹25,000/- का इनाम घोषित किया गया था। बागपत पुलिस की टीमों द्वारा लगातार दिल्ली, अमरोहा, सम्भल एवं अन्य सम्भावित ठिकानों पर दबिशें दी जा रही थीं।

अभियुक्त का नाम पता:-

राजा अली पुत्र शराफत निवासी दिल्ली का पता: 25 फुटा रोड, मुस्तफाबाद, थाना खजूरी, जिला उत्तर-पूर्वी दिल्ली एवं एफ-154/55, विजय विहार फेस-1, रोहिणी सेक्टर-4, नार्थ-वेस्ट दिल्ली-85 पूर्व का किराया का पता: बिच्छू वाली दरगाह के पास, सज्जाद रोड, थाना कोतवाली अमरोहा, जनपद अमरोहा (उ0प्र0) हाल निवासी पता: मोहल्ला हातिम सराय, मोहन तालाब के पास, थाना नखासा, जनपद सम्भल (उ0प्र0)

बरामदगी का विवरण:

- 01 हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट - आगे/पीछे)
- 01 तमंचा (.315 बोर) मय 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस (.315 बोर)

अभियोग का विवरण:

1-मु0अ0सं0- 567/25 धारा 2(b)(xv)/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली बागपत (विवेचना थाना सिंघावली अहीर)

2-मु0अ0सं0 443/23 धारा 307/120बी भादवि, 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली बागपत

पुलिस मुठभेड़, जानलेवा हमला व बिना नंबर की मोटरसाइकिल/अवैध असलाह बरामदगी के सम्बंध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री सूर्यदीप सिंह थाना सि0अहीर जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सि0अहीर जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री स्नेह प्रकाश थाना सि0अहीर जनपद बागपत।

4-है0का0 681 दीपक कुमार थाना सि0अहीर जनपद बागपत।

5.है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सि0अहीर जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 15.09.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0-608/26 धारा 303(2)/281 बीएनएस से सम्बधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई बकरीयां बेचकर प्राप्त रुपयो में से 5100 रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक कार बरामद।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 14.09.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अनीस पुत्र मुन्सफ निवासी मौंहल्ला केतीपुरा पुराना कस्बा बागपत ने लिखित तहरीर दी कि सिल्वर रंग की बलैनो नम्बर यू०पी० 17 ए० सी० 7557 मे सवार तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी 6 बकरियो को कार में डाल कर ले जाना तथा गाडी का पीछा करने पर साईड मारना । इस सम्बध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0स0 608/26 धारा 303(2)/281 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 608/26 धारा 303(2)/281 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त उमर पुत्र मोबीन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई बकरी बेचकर प्राप्त रुपयों में से 5100 रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक कार बरामद हुए है। मुकदमा उपरोक्त मे बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

बरामदगी का विवरण -

- चोरी की हुई बकरी बेच कर प्राप्त रुपयो में से 5100 रूपये बरामद
- घयना में प्रयुक्त गाडी मारूति सुजुकी बलैनो रजि0 नं0 UP 17 AC 7557

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

उमर पुत्र मोबीन निवासी मौहल्ला कुरैशियान चौपले के पास थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
2-है0का0 151 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
3-का0 652 मोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 15.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30-06-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी विनोद कुमार पुत्र स्व0 धनपाल निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. विकास उर्फ विक्की पुत्र नवाब, 2.बिजन उर्फ बिजेन्द्र पुत्र कृष्णपाल, 3.रमन पुत्र ऋषिपाल, 4.सजन पुत्र कृष्णपाल, 5. नवाब पुत्र रगबर, 6.राजेन्द्र पुत्र ऋषिपाल निवासीगण ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, 7. जितेन्द्र उर्फ जित्तू पुत्र नौराज निवासी गायत्रीपुरम् कस्बा बागपत, 8. शेरसिंह उर्फ कपिल पुत्र सुरेन्द्र निवासी कस्बा बागपत, 9.दीपक चौहान उर्फ कल्लू पुत्र जगबीर निवासी पक्का घाट कस्बा बागपत, 10.सुगम सांगवान पुत्र नामालूम निवासी ग्राम सांकलपुट्ठी जनपद बागपत व 2-3 अज्ञात बदमाश द्वारा भट्टे की मिट्टी से भरे हाईवा से उसकी ब्रेजा कार में टक्कर मार दी, शिकायत करने पर अभियुक्तों द्वारा अपने चेहरे पर कपड़ा बांध कर अपने हाथो में लिये हथियारों पिस्टल, रिवाल्वर से उसके व उसके लडकों पर जान से मारने की नीयत से अन्धा धुंध फायरिंग की गयी, जिसमें उसका लडका जतिन गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा अभियुक्तों द्वारा हाथों में लिये हॉकी व डण्डों से अभिषेक के साथ भी मारपीट की, जिसमें अभिषेक गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा उसका दांत भी टूट गया। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

सुगम पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम सांकलपूट्ठी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री उत्कर्ष गुप्ता कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 758 दिनेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-रि0का0 58 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।